उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
//ज्ञापन//

क्रमांक B/1936....../   जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2019
चार–12–14/10

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
समस्त **(म०प्र०)**

विषय :- सेवानिवृत्ति उपरांत पदस्थ रहे प्रधान न्यायाधीश को अंतरिम राहत के भुगतान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बावत् ।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्र० 627/दो-6–2/17 दिनांक 19.7.2018

****

सेवानिवृत्ति उपरांत पदस्थ रहे प्रधान न्यायाधीश को अंतरिम राहत के भुगतान किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1906/21-ब(एक) दिनांक 23.3.2019 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है ।

अतः सेवानिवृत्ति उपरांत पदस्थ रहे प्रधान न्यायाधीश को अंतरिम राहत के भुगतान किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(डॉ०आर०के०मिश्रा)
ओ०एस०डी०(लेखा)

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1906/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 23.03.2019

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय
जबलपुर (म0प्र0)

विषय :– सेवानिवृत्ति उपरांत पदस्थ रहे प्रधान न्यायाधीश को अंतरिम राहत के भुगतान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बावत्।

संदर्भ:– रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक डी/4732/चार–12–18/18 दिनांक 16.07.2018

000

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया है:–

"विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 05–08–2018 में सेवारत तथा पेंशनर्स को समान रूप से 30 प्रतिशत की दर से अन्तरिम राहत स्वीकृत है तथा मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11(2) के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन+मंहगाई भत्ता में से पेंशन+मंहगाई राहत घटा कर संविदा वेतन निर्धारित होगा। अतः दिनांक 1–1–2016 के पश्चात सेवानिवृत्त को सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवारत स्थिति में तथा सेवानिवृत्ति होने पर कमशः वेतन तथा पेंशन पर अंतरिम राहत प्राप्त होगी तदनुसार संविदा नियुक्ति पर संविदा वेतन निर्धारण के लिए भी वेतन एवं पेंशन पर प्राप्त अंतरिम राहत को गणना में लिया जाना चाहिए।

उदाहरण:–

1. सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन :–

(अ)	मूल वेतन	रूपये	50,000/–
(ब)	अंतरिम राहत 30%	रूपये	15,000/–
(स)	मंहगाई भत्ता 125% (मूल वेतन पर)	रूपये	62,500/–
	कुल वेतन रूपये		1,27,500/– -(A)

Scanned by CamScanner

2. सेवानिवृत्ति पर प्राप्त पेंशन (अंतरिम राहत पेंशन प्राप्त होने पर)

(अ)	मूल पेंशन	रूपये	25,000/–
(ब)	अंतरिम राहत 30%	रूपये	7,500/–
(स)	मंहगाई भत्ता 125% (मूल पेंशन पर)	रूपये	31,250/–
	कुल वेतन रूपये		63,750/– -(B)

3. पुनर्नियुक्ति पर प्राप्त वेतन :– कुल अंतिम वेतन–कुल पेंशन

अर्थात् (A) रूपये 1,27,500/- (B) रूपये 63,750 = 63,750/- "

अतः वित्त विभाग का उपरोक्त मत समुचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

23-03-2019

(रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Scanned by CamScanner